

विज्ञापन संख्या 17/2012, श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा संवर्ग में बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त 22 (बाईस) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों (पुरुष एवं महिला) से विहित प्रपत्र म आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन रिक्त 22 (बाईस) पदों में से अनारक्षित को 08 (आठ), अनुसूचित जाति को 06 (छः), अनुसूचित जनजाति को 01 (एक), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 06 (छः) एवं पिछड़ा वर्ग की महिला को 01 (एक) पद अनुमान्य हैं।

टिप्पणी :- जो उम्मीदवार सरकारी सेवा में है उनके आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनका आवेदन आयोग के पास उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अग्रसारित न किया गया हो।

2. वेतनमान - 6500-10500/-, ग्रेड पे - 5400/- (पी.बी. 2)

3. शैक्षिक योग्यता : (i) उम्मीदवार को भारत संघ या विदेश के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का चिकित्सा स्नातक (मेडिकल ग्रेजुएट) और बिहार चिकित्सा अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

(ii) उम्मीदवार किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की अंतिम परीक्षा पास करने के बाद कम से कम छः महीने का हाउसमैनशीप सफलतापूर्वक अवश्य कर चुका हो। उन उम्मीदवारों के संबंध में हाउसमैनशीप पर जोर नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने एम.बी.बी.एस. की परीक्षा संक्षिप्त पाठ्यक्रम (कन्डेंस्ड कोर्स) या पुराने पाठ्यक्रम (ओल्ड कोर्स) से, जब हाउसमैनशीप अनिवार्य नहीं था, पास की हो, बशर्ते कि वह (पुरुष एवं महिला) रजिस्ट्रार, चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण, बिहार परिषद द्वारा सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो।

4. उम्र सीमा: दिनांक 01.08.2012 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम, अनारक्षित (पुरुष) - 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला - 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 42 वर्ष।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक - 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में; बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को, जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. मेधा सूची तैयार करने का आधार - मेधा सूची शैक्षणिक योग्यता (केवल एम.बी.बी.एस. के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत के आधार पर) के लिए निर्धारित 60 अंक एवं साक्षात्कार के लिए निर्धारित 40 अंक अर्थात् 100 अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता पर अंकों का निर्धारण कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी अभ्यर्थी का कुल प्राप्तांक प्रतिशत 90 हो तो उसे  $90 \times 0.6 = 54$  अंक मिलेंगे।

रिक्तियों के अनुपात में अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उम्मीदवारों का Shortlisting उक्त पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (केवल एम.बी.बी.एस. के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत के आधार पर) के लिए निर्धारित 60 अंक के आधार पर किया जाएगा एवं तदनुसार ही आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के 05 (पाँच) गुणा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

#### आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

6. प्रविष्टि:

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210x297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र चार पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(iii) आवेदन-पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे

(i) आवेदन की कडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय-

रि	न	र	धा
----	---	---	----

(ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।

(iii) आवेदन की कडिका 2(iii) यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।

(iv) आवेदन की कडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।

उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।

(v) क्रमांक 8(i) "शैक्षिक योग्यता" के अधीन 'प्राप्तांक' एवं 'पूर्णांक'

प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 11 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 12 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (x) कर दें।

7. फोटोग्राफ:

आवेदन-पत्र के पृष्ठ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप स न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो एक ही निगेटिव का होना चाहिए। भविष्य में संबंधित परीक्षा के उपयोग हेतु निगेटिव सुरक्षित रखें। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्राणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

8. लिफाफा:

(i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं. एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

(ii) विहित आवेदन पत्र के साथ प्रवेशिका प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (एम.बी.बी.एस. की तीनों परीक्षाओं के अलग-अलग अंक पत्र), हाउसमैनशीप का प्रमाण पत्र, बिहार चिकित्सा अधिनियम के अधीन निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के मामले में जाति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र सहित) की स्वअभिप्राणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।

(iii) 16x10 से.मी. का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 25-25 रुपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

9. आरक्षण:

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण सहित जाति प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।

10. शुल्क:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 25/- (पचास) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 75/- (पचहत्तर) रुपये तथा अन्य के लिए 100/- (एक सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 150/- (एक सौ पचास) रुपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा

में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लाय। चालान की एक प्रति (BPS's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें। इससे भिन्न किसी अन्य रूप में प्राप्त शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

11. अन्य:  
अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा।
12. अंतिम तिथि:
  - (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि बुधवार, दिनांक 16.01.2013 की संध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
  - (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना